ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पनोह में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अनिल कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री उत्तम चंद	01.04.2022 से 31.03.2023
2.	श्री बिक्रम सिंह	31.03.2023 से 31.03.2024

-79-

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.25
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	48.14
3	7.1	पंचायत का गृहकर/सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.39
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
5	8.1	खनन सामग्री से रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित न करना	0.29
6	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.20
7	9.1 व 9.2	अंकेक्षणापत्ति उपरान्त अनियमित भुगतानों की वसूली करना	0.06
8	9.3	क्रय की गई सामग्री की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	0.18
9	9.4	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	8.81
10	9.5	स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना	2.41

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	निर्णीत/ अनिर्णीत	विवरण
1	पैरा-3	निर्णित	अंकेक्षण शुल्क, राशि ₹5400/- की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 820004 (PNB) दिनांक 31.05.17 द्वारा कर ली गई है।
2	पैरा-4	निर्णित।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
3	पैरा-4)(iii)	अनिर्णित।	
4	पैरा-5	अनिर्णीत		
5	पैरा-6	अनिर्णीत		
6	पैरा-7	अनिर्णीत		
7	पैरा-8	अनिर्णीत		
8	पैरा-9	अनिर्णीत		

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.05.2024 से 18.05.2024 तक ग्राम पंचायत पनोह के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	03/2023
2023-24	03/2024	08/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2024 दिनांक 16/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत पनोह द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, पटलानदर, हमीरपुर, DDO NO-UPF 819872 दिनांक 18.05.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत पनोह द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनांक 08.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान सात (7) रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) (Offline), अनुदान (प्लानिंग) (Offline), मुख्य मंत्री आवास योजना (Offline), स्वच्छ भारत मिशन (Offline), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित):-

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	1603223.44	2496974.22	4100197.66	1485457.31	2614740.35
2023-24	1050402.71	151507.00	1201909.71	169940.34	**1031969.37**

नोटः ग्राम पंचायत पनोह द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वः स्रोत व् अनुदान की रोकड़ बही का अन्तिम शेष राशि ₹2614740.35 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹1050402.71 दर्शाया था, जिसमें राशि ₹1050402.71 दर्शाया था, जिसमें राशि ₹156337.64 का अन्तर पाया गया, जिसके सन्दर्भ में पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि सरकार के निर्देशानुसार सभा फण्ड व सामान्य का अलग-2 रख रखाव करने हेतु प्रस्ताव संख्या 6 दिनाँक 9.02.2023 पारित कर इन्हें दिनाँक 01.04.2023 से अलग-2 कर दिया गया है।

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	2163416.30	9370080.21	11533496.51	9235727.20	2297769.31
2023-24	3862106.95	3563875.28	7425982.23	2611737.95	**4814244.28**

नोटः इसी प्रकार अनुदान की रोकड़ बही अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का अन्तिम शेष ₹2297769.31 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरम्भिक शेष ₹3862105.95 दर्शाया गया था, जिसमें राशि ₹1564337.64 का अन्तर पाया गया, जिसके सन्दर्भ में पंचायत द्वारा दिनांक 09.02.2023 को प्रस्ताव संख्या 6 पारित कर दिनांक 01.04.2023 से मुख्य मंत्री आवास योजना व प्लानिंग हेतु रोकड़ बही में अलग से रख रखाव किया गया तथा मुख्य मंत्री आवास योजना खाते को बंद कर उसकी शेष राशि ₹154083 व स्वयं स्रोत तथा अनुदान (समेकित) की अंतर की राशि ₹1564337.64 अर्थात कुल अंतर की राशि ₹1718420.64 (154083 + 1564337.64) से

अनुदान प्लानिंग हेतु नई रोकड़ बही शुरू कर अनुदान की समेकित स्थिति का मिलान किया गया है।

इसका मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 से स्वः स्रोत व अनुदान की रोकड़ बही से स्वः स्रोत की रोकड़ बही तथा अनुदान प्लानिंग की रोकड़ बही को वित्तीय वर्ष 2023-24 में अलग से संधारित करना बताया गया।

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	3766639.74	11867054.43	15633694.17	10721184.51	4912509.66
2023-24	4912509.66	3715382.28	8627891.94	2781678.29	**5846213.65**

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	Own Sources & GIA	PNB PATLANDER	2198000100711716	1030893.37
	GIA (Planning)	PNB PATLANDER	2198000100711460	842347.86
	GIA (Planning)	KCCB CHOURI	50074122895	154821
	GIA (Planning)	INDUSIND BANK	100167373273	542960
	SBM	PNB PATLANDER	2198000100741452	234995.42
	15TH FC	PNB PATLANDER	2198000100754447	3064291
		योग		**5870308.65**
2		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)		1076
		योग (1+2)		**5871384.65**

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	1031969.37
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	4814244.28
3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	**5846213.65**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष	5870308.65
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	1076.00
6)	योग (4+5)	**5871384.65**
7)	**अन्तर (3-6)**	**25171.00**

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.25 लाख का अंतर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.24 को अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष की रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में राशि ₹25171/- का अन्तर रोकड़ बही में कम के रूप में पाया गया।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62/2024 दिनांक 09.05.2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर राशि की जांच करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अन्तर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) खाता "क" तथा "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA (5) C (15)-(13) L 5-47005-81 दिनाँक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि के लिये खाता **"क"** व खाता **"ख"** का रख रखाव नियमानुसार व निर्देशानुसार नहीं किया गया था। उदाहरण के लिये स्वः स्रोत व अनुदान के लिये संयुक्त खाता संख्या 2198000100711716 अनुदान (प्लानिंग) के लिये तीन खातों क्रमशः खाता संख्या 219800100711460, 50074122895 व 100167373273 का रख-रखाव किया गया था, जो कि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है और इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार रोकड़ बही व स्कीमवार बैंक खातों का रख-रखाव किया जाए और ई-ग्राम स्वराज पर रोकड़ बही का अद्यतन सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(6) लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थीं। खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 02 दिनांक 18.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 **सावधिक निवेश :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनाँक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 02 दिनांक 18/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के प्रारूप-1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख-रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹48.14 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनांक 08.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक प्राप्त अनुदान राशियों में से **₹4814244.28** की राशि उपयोग हेतू शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनाँक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 02 दिनाँक 08.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनांक 08/05/2024 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 02 दिनांक 18/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनांक 08/05/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 02 दिनांक 18/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर ₹0.39 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनांक 08.05.2024 के क्रम संख्या 5, **सलंग्न (परिशिष्ट "ख")** के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 04 दिनांक 18/05/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर के रूप में राशि ₹38600 वसूली हेतु शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	861	100	86100	86100	86100	0
2023-24	0	886	100	88600	88600	50000	38600

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का वर्णित नियम प्रावधानों के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम

9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹4200**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न **(परिशिष्ट "ग")** में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63/2024 दिनांक 09.05.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को उक्त नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को राशि ₹0.29 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :--

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा|

अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 03/2023 व 08/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "घ")** अनुसार राशि **₹29021.24** का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है|

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65/2024 दिनांक 09/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18/05/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त

पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: राशि **₹29021.24** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार अपेक्षित समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.20 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 03/2023 व 08/2023 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति **सलंग्र (परिशिष्ट "ङ")** अनुसार राशि **₹978651/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था |

लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹19573.02** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2024 दिनांक 09/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 4 दिनांक 18/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹19573.02** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष व 15वें वित् आयोग के अंतर्गत किये गए कुल भुगतान में राशि ₹0.02 लाख का अधिक व गलत भुगतान की अंकेक्षण आपत्ति उपरान्त वसूली करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 03/2023 व 08/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **सलंग्न (परिशिष्ट "च")** अनुसार राशि **₹2483.88/-** किराया व ढुलाई व्यय जो कि निविदाओं (Quotation) में निर्धारित नहीं था, और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा अधिक व गलत भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72/2024 दिनांक 16/05/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों के अधिक भुगतान राशि ₹2483.88/- हेतु **(रसीद संख्या-94789)** दिनांक 20.05.2024 को काट कर 15वें वित्तायोग खाता संख्या 219800010075447 में जमा करवा दी है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

अतः ग्राम पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि कोई भी भुगतान जोकि निविदाओं में निर्धारित है, केवल उसी के आधार पर भुगतान किया जाये अन्यथा भुगतान न किया जाये तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाये जायें ।

9.2 15वें शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री सीमेंट को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित मास 03/2023 व 08/2023 में करवाए गए निर्माण कार्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री (**सीमेंट)** को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹3353/-** का अधिक भुगतान किया गया था :-

(1) निर्माण कार्य का नाम :- C/O upgradation of Talab in vill Chamyola :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**रूपांतरक कारक**	**सीमेंट (बैग)**
34022, 11,12	CC 1:3:6	7.8	4.4	34.32
	स्टॉक रजिस्टर द्वारा जारी / खपत मात्रा			40
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**5**
	क्रय दर			372.63 प्रति बैग
	अधिक भुगतान (5 x 372.63) bag)			1863.15
	कुल अधिक भुगतान			**1863/-**

(2) निर्माण कार्य का नाम :- C/O bathroom near Mehar chand house Vill Bhatani :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**रूपांतरक कारक**	**सीमेंट (बैग)**
34022, 18,19	CC 1:3:6	1.54	4.4	6.77
	CC 1:2:4	0.36	6.4	2.30
	CC 1:1.5:4	0.9	8	7.2
	Brick work (1:6)	3.81	1.2	4.57
	योग			20.84
	स्टॉक रजिस्टर द्वारा जारी / खपत मात्रा			25

	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		4
	क्रय दर		372.63 प्रति बैग
	अधिक भुगतान (4 x 372.63)		1490.52
	कुल अधिक भुगतान		**1490/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 73/2024 दिनांक 16/05/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित कार्यों के अधिक भुगतान राशि **₹3353** हेतु (**रसीद–94787 व् 94788)** दिनाँक 20.05.24 को काट कर 15वें वित्तायोग खाता संख्या 2198000100754447 में जमा करवा दी है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

अतः इस तरह के मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाये जायें।

9.3 राशि ₹0.18 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 03/2023 व 08/2023 में **(सलंग्न परिशिष्ट "छ") अनुसार निर्माण** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए राशि ₹17556/- का भुगतान किया गया था।

जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 71/2024 दिनांक 16/05/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा|"

अतः नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की पूर्ण जांच नहीं हो सकी | अतः हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9.4 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹8.81 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **सलंग्न (परिशिष्ट "ज")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹881264/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा क्रय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 69/2024 दिनांक 15.05.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अंकेक्षण में दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना आगामी समय में कर ली जाएगी। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.5 राशि ₹2.41 लाख की सामग्री का स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् ,बजट,लेखे, संपरीक्षा,सकर्म,कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टोर/स्टॉक सामान के प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान चयनित माह 03/2023 व 08/2023 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि **सलंग्न (परिशिष्ट "झ") राशि ₹241136/-** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति

प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियों/कमियों के चलते स्टोर/स्टॉक में रिसन (leakage) एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 70/2024 दिनांक 16/05/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पनोह के ध्यानार्थ यह मामला लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में करके अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा| उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्रय किए गए सामान का स्टॉक इन्द्राज न करना एक गम्भीर अनियमितता है|

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाये|

9.6 प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है|

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75/2024 दिनांक 16/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **सलंग्र परिशिष्ट "ञ"** अनुसार कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 02 दिनांक 18/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा|

वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना स्वतः आपत्तिजनक है क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकती है|

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अति शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें।

9.7 बजट प्राकलन नियमानुसार तैयार न करना।

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधार व् भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फ़ार्म-11 में पंचायत के आय व् व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करा लिया गया है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित है। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 18/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)

3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अभिलेख का रख-रखाव न करना	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
12	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2024 दिनांक 18.05.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 02 दिनांक 18/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

-99-

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

03 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

3766-3770

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)17/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

ANNEXURE -क पैरा संख्या 4.1 में सदर्भित

ग्राम पंचायत पनोह विकास खण्ड सुजानपुर,जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1603223.44	2496974.22	4100197.66	1485457.31	2614740.35
2	2023-24	1050402.71	151507.00	1201909.71	169940.34	**1031969.37**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2163416.30	9370080.21	11533496.51	9235727.20	2297769.31
2	2023-24	3862106.95	3563875.28	7425982.23	2611737.95	**4814244.28**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3766639.74	11867054.43	15633694.17	10721184.51	4912509.66
2	2023-24	4912509.66	3715382.28	8627891.94	2781678.29	**5846213.65**

NOTE:- The amount of closing balance of cash book of own sources and GIA 2022-23, (Rs. 2614740.35) not taken in opening balance in 2023-24, respect of (Rs 1050402.71), diff is 1564337.64 due to maintain saprate cash book of Own sources, MMAY and GIA from FY 2023-24 by Gram Panchayat, the diffrence amount is Rs. 1564337.64 in GIA(Planning) in opening balance 2022-23 same as in closing balance of 2023-24.

Pradhan
Gram Panchayat Panoh
Block Sujanpur Distt Hamirpur (H.P.)

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर,जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

स्वच्छ भारत मिशन (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	156274.3	1506788.78	1663063.08	1434360.77	228702.31
2	2023-24	228702.31	6294	234996.31	0.89	**234995.42**

MMAY (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	421805	1310227	1732032	1577949	154083
2	2023-24	0	0	0	0	**0**

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	0	0	0	0
2	2023-24	0	233486	233486	233486	**0**

अनुदान (प्लानिंग)(Online)(Consolidated)) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	0	0	0	0
2	2023-24	1718420.64	393361	2111781.64	596823.78	**1514957.86**

15वां वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1585337	1975231	3560568	1645584	1914984
2	2023-24	1914984	1308755	3223739	159448	**3064291**

Secretary
Gram Panchayat Panoh
Block Sujanpur Distt Hamirpur (H.P.)

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	4577833.43	4577833.43	4577833.43	0
2	2023-24	0	1621979.28	1621979.28	1621979.28	**0**

22

Annexure - 'ख' पैरा संख्या 7.1 मे संदर्भित

House Tax Gram Panchayat- Panoh, Block - Sujanpur (04/2022 to 03/2024)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	861	100	86100	86100	86100	0
2023-24	0	886	100	88600	88600	50000	**38600**

Secretary
Gram Panchayat Panoh
Block Sujanpur Distt Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट - 'ग' पैरा संख्या 7.2 मे सदर्भित (29)

विवाह पंजीकरण शुल्क सूचना वर्ष 01/04/2022 से 31/03/2024

क्रम स०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी	प्राप्त राशी	बकाया राशी
1	अनूप कुमार पनोह	10/05/2022	23/05/2022	88948	200	200	0
2	नरेश कुमार चम्योला	20/05/2022	18/06/2022	88949	200	200	0
3	रविंदर कुमार पनोह	21/06/2022	13/07/2022	88950	200	200	0
4	अमित कुमार भटेरा	08/07/2022	27/07/2022	88951	200	200	0
5	बतन सिंह पनोह	20/07/2022	04/08/2022	88952	200	200	0
6	मंजीत कुमार ज्याड	11/08/2022	13/10/2022	88973	400	400	0
7	डिंपल कुमार भटेरा	27/09/2022	14/10/2022	88974	200	200	0
8	अमन कुमार ठलाकाना	17/02/2023	06/03/2023	88992	200	200	0
9	रोहित चौहान भटानी	16/02/2023	09/03/2023	88993	200	200	0
10	दीपक कुमार चम्योला	23/02/2023	14/03/2023	88994	200	200	0
11	राजीव कुमार भटानी	22/05/2023	25/05/2023	94763	200	200	0
12	अजय कुमार ज्याड	18/08/2023	29/08/2023	94768	200	200	0
13	चमन लाल भटेरा	26/10/2023	07/11/2023	94770	200	200	0
14	अनिल कुमार चम्योला	26/09/2023	07/11/2023	94771,94786	400	400	0
15	रितिक ठाकुर पनोह	18/10/2023	09/11/2023	94772	200	200	0
16	आशीष शामा पनोह	22/10/2023	21/11/2023	94774	200	200	0
17	सचिन ठाकुर धरोल	28/11/2023	08/12/2023	94775	200	200	0
18	आशु कुमार धरोल	14/02/2024	05/03/2024	94779	200	200	0
19	सौरभ चौहान पनोह	17/02/2024	05/03/2024	94780	200	200	0
	योग				4200	4200	0

Secretary
Gram Panchayat Panoh
Hamirpur (H P)

Secretary
Gram Panchayat Panoh
Block Sujanpur Distt. Hamirpur (H P)

27

परिशिष्ट - 'cJ' पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

Details of Royalty GP-Panoh Development - Sujanpur (2022-24)

S/NO	Scheme	Voucher No	Name Of Work	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Quantity (Mt)	Rate per tonne	Total
1	MMLB	7	C/O Mukhyamantri Lokbhawan GP Panoh	471 (06/22)	Avnish Shama Vill Paddar PO Majhog Sultani	Aggregate	28.32	1.52	43.0464	80	3443.712
						Sand	28.32	1.62	45.8784	80	3670.272
2	15th FC(PS)	3	R/O khatri/Bowri near house of raghuveer singhW.No3	693 (21/3/2023	Avnish Shama Vill Paddar PO Majhog Sultani	Aggregate	0.56	1.52	0.8512	80	68.096
						Sand	0.42	1.62	0.6804	80	54.432
3	15th FC(PS)	4	R/O khatri/Bowri near house of Leela devi W/O Sarwan singh W.No.3	695 (22/3/23)	Avnish Shama Vill Paddar PO Majhog Sultani	Aggregate	0.56	1.52	0.8512	80	68.096
						Sand	0.42	1.62	0.6804	80	54.432
4	15th FC(ZP)	5	C/O Add Amount for Construction of Bathroom near Community Bawari	744 (28/3/23)	Avnish Shama Vill Paddar PO Majhog Sultani	Aggregate	2.54	1.52	3.8608	80	308.864
						Sand	3.25	1.62	5.265	80	421.2
5	15th FC(PS)	7	R/O Khatri/Bowari Near house of Ratan Chand	694 (22/3/23)	Avnish Shama Vill Paddar PO Majhog Sultani	Aggregate	0.56	1.52	0.8512	80	68.096
						Sand	0.42	1.62	0.6804	80	54.432
6	15th FC(PS)	8	R/O Path Village Dharol Sunil Kumar Cowshed to Bawari	723 (25/3/2023)	Avnish Shama Vill Paddar PO Majhog Sultani	Aggregate	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	2.97	1.62	4.8114	80	384.912
						Stone	4.24	2.24	9.4976	80	759.808
7	15th FC(ZP)	10	C/O Add Amount for Construction of Bathroom near Community Bawari	743 (28/03/2023)	Avnish Shama Vill Paddar PO Majhog Sultani	Aggregate	3.39	1.52	5.1528	80	412.224
						Sand	3.54	1.62	5.7348	80	458.784
8	SDP	11	C/O Mokshdham Vill Thalakna	692 (21/3/23)	Avnish Shama Vill Paddar PO Majhog Sultani	Aggregate	11.32	1.52	17.2064	80	1376.512
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Stone	2.83	2.24	6.3392	80	507.136
9	VKVNY	12	C/O Playground Choran Naala Vill Thalakna	720 (24/3/23)	Avnish Shama Vill Paddar PO Majhog Sultani	Aggregate	50.97	1.52	77.4744	80	6197.952
						Sand	26.9	1.62	43.578	80	3486.24
										योग	23216.992
										25% पेनल्टी	5804.248
										कुल योग	29021.24

Secretary
Gram Panchayat Panoh
Block Sujanpur Distt Hamirpur (H P)

Annaxure-(ङ.) पैरा संख्या 8.2 में सदर्भित

Details of TDS GP - Panoh, Block- Sujanpur (2022-2024)

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि	योग	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती योग्य राशि
1	Mar-23	BSG SOLAR ECO ENERGY PVT. LTD	WATER COOLER	298305	298305	5966 (2% x 298305)
2	Mar-23	M/S CHATURBHUJA PROJECT	RCC BENCHES	295118	295118	5902 (2% x 295118)
3	Mar-23	ROOP TRADING CO	HARDWARE ITEMS	385228	385228	7704 (2% x 385228)
TOTAL					**978651**	**19573.02**

Secretary
Gram Panchayat Panoh

29

- 186 -

Annexure – 'घ' पैरा संख्या 9.1 से सदर्भित

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व् दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि
1	GIA (PLANNING)	45	12571 01/23	ROOP TRADING CO. VPO CHOWKI HAMIRPUR	FREIGHT	511.01
2	GIA (PLANNING)	48	12859 02/23	ROOP TRADING CO. VPO CHOWKI HAMIRPUR	FREIGHT	465.25
3	15FC	43	14048 03/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	LABOUR	508.47
4	15FC	44	13719 03/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	LABOUR & LABOUR	1153.38
5	15FC	45	14028 03/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	LABOUR & LABOUR	822.03
TOTAL						**2483.88**

Secretary
Gram Panchayat Panoh
Block Sujanpur Distt Hamirpur (H P)

30

— 107 —

(28)

Annexure – 'द' पैरा संख्या 9.3 में सदर्भित

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे, ग्राम पंचायत पनोह, विकास खंड सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (2022-2024)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि
1	SBM	C/O PLASTIC WAIST MANAGEMENT UNIT	4746
2	SBM	C/O PLASTIC WAIST MANAGEMENT UNIT	11250
3	SBM	C/O PLASTIC WAIST MANAGEMENT UNIT	1560
Total			**17556**

Secretary
Gram Panchayat Panoh
Block Sujanpur Distt. Hamirpur (H.P.)

Annexure- 'ज' पैरा संख्या 9.4 से सम्बंधित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय, ग्राम पंचायत पनोह, विकास खंड सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (2022-2024)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि
1	15FC	28	28 03.23	M/S CHATURBHUJA PROJECT, VPO CHABUTRA	RCC BENCHES	73200
2	15FC	30	25 03.23	M/S CHATURBHUJA PROJECT, VPO CHABUTRA	RCC BENCHES	61000
3	15FC	31	29 03/23	M/S CHATURBHUJA PROJECT, VPO CHABUTRA	RCC BENCHES	36600
4	15FC	32	30 03/23	M/S CHATURBHUJA PROJECT, VPO CHABUTRA	RCC BENCHES	61000
5	15FC	33	26 03/23	M/S CHATURBHUJA PROJECT, VPO CHABUTRA	RCC BENCHES	30500
6	15FC	34	23 03/23	M/S CHATURBHUJA PROJECT, VPO CHABUTRA	RCC BENCHES	61000
7	15FC	43	14048 03/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	POLYCARBONATE PROFILE SHEET	19710
8	15FC	44	13719 02/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	HARWARE ITEMS	132149
9	15FC	45	14028 03/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	POLYCARBONATE PROFILE SHEET	84531
10	15FC	10	743 03/23	AVNISH SHAMA GOVT CONTRACTOR, VILL PADDAR	SAND, AGGRIGAREAND BRICKS	22750
11	15FC	5	744 03/23	AVNISH SHAMA GOVT CONTRACTOR, VILL PADDAR	SAND, AGGRIGAREAND BRICKS	21508

12	SBM	9	14744 03/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	STEEL	21377
13	SBM	5	14712 03/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	STEEL	26639
14	OWN SOURCES (PLANNING)	43	1569 03/23	MICRO TEC COMPUTERS, HAMIRPUR	PRINTER	24900
15	OWN SOURCES (PLANNING)	45	12571 01/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	HARWARE ITEMS	36245
16	OWN SOURCES (PLANNING)	46	12993 02/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	HARWARE ITEMS	29900
17	OWN SOURCES (PLANNING)	47	12854 02/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	HARWARE ITEMS	43794
18	OWN SOURCES (PLANNING)	48	12859 02/23	ROOP TRADING CO, VPO CHOWKI, HAMIRPUR	HARWARE ITEMS	40641
19	OWN SOURCES (PLANNING)	12	720 03/23	AVNISH SHAMA GOVT CONTRACTOR, VILL PADDAR	SAND, AGGRIGAREAND BRICKS	53820
				योग		**881264**

Secretary
Gram Panchayat Panoh

33

Annexure – अ, पैरा संख्या 9.6 में सन्दर्भित

प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे, ग्राम पंचायत पनोह, विकास खंड सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (2022-2024)			
क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**कार्य का नाम**	**राशि**
1	SBM	C/O PLASTIC DUSTBIN UNIT	17556
2	15FC	ADD AMOUNT BATHROOM COMMUNITY BABDI NEAR MEHER CHAD HOUSE VILL BHATANI	9316
3	15FC	Upgradation Tslssb in villshr chamyola	14905
4	15FC	Soular Light installed in panoh panchayat in all ward	423255
5	15FC	installed RCC benches in panoh panchayat all ward	359900
6	15FC	Creation of drinking water in panoh panchayat in all ward	256000
7	15FC	Repair of path vill dharol sunil kumar cowshed towars babdi	23790
8	15FC	add. Bathroom near community babdi vill bhatni	14948
9	15FC	upgradation of Talaab in sc basti vill bhatani	236390
10	15FC	addl amount paid bathroom community bawari village bhatani	34576
11	15FC	addl amount paid bathroom near bawari mehar chand house	26648
12	15FC	repair of bawari in panchayat panoh	9170
13	15FC	rapair of path sunil kumar goushala to bawari vill dharol	12602
14	GIA (PLANNING)	C/O SHAMSHAN GHAT MOKSH DHAM THALAKANA	20860
15	GIA (PLANNING)	C/O PLAYGROUND THALAKANA CHORAN NALA	53820
TOTAL			**1513736/-**

Secretary
Gram Panchayat Panoh
Block Sujanpur Distt. Hamirpur (H.P.)